

20.09.
2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाकर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है एवं नवीन पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो गया है।

धरतः यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खालि किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अद्वीगिस्त्र न्यायालय को भिजवायी जाने। पत्रावली दिसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


जिला कलक्टर
कलकत्ता